पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-140

दिनांक-21.01.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- गोसाईगंज, निगोहां, हुसैनगंज के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

क्र0 सं0	थाना	नामपता विपक्षी	गुण्डा घोषित की अवधि
1	निगोहां	सूरज रावत उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रामचन्द्र रावत निवासी ग्राम मस्तीपुर थाना निगोहां लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
2	गोसाईगंज	रामदेव रावत उर्फ कुलदीप उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र परमेश्वर निवासी मंगहुआ थाना गोसाईगंज लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
4	हुसैनगंज	अंकित रावत पुत्र कमलेश रावत निवासी-68/73 छितवापुर हुसैनगंज थाना हुसैनगंज लखनऊ	06 माह (थाना हाजिरी)
5	निगोहां	अभिषेक साहू उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र विजयशंकर साहू निवासी ग्राम सिर्स, थाना निगोहां लखनऊ	03 माह (थाना हाजिरी)

पुलिस कमिश्नरेट,लखनऊ

प्रेस नोट सं0-139

दिनांक-21-01-2026

जोन- दक्षिणी/थाना-पी.जी.आई.

पीजीआई थाना क्षेत्र में युवक प्रदीप सिंह परिहार के हत्या की घटना का सफल अनावरण।

- **धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला, पत्नी व सह-अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **पत्नी व प्रेमी ने मिलकर रची थी हत्या की साजिश, पीजीआई पुलिस ने कुछ ही घण्टों में किया गया खुलासा।**
- **हत्या कारित करने वाले अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **आलाकत्ल 01 अदद चाकू व टी-शर्ट बरामद।**
- **गंभीर आपराधिक प्रकरण में थाना पीजीआई पुलिस की कार्यवाही।**

कार्यवाही:-

थाना पीजाआई पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या की घटना का कुछ ही घण्टों में अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त/अभियुक्ता 1. **रामतीर्थ मौर्या** पुत्र शेषनाथ मौर्या निवासी ग्राम हवेली पोस्ट जमरवा, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी उम्र 32 वर्ष, हाल पता- संदीप पाल का किराये का मकान उतरेठिया, थाना पीजीआई, लखनऊ को **चिरैय्याबाग बस अड्डे से,** 2-**पूजा सिंह** पत्नी प्रदीप सिंह परिहार पुत्री हरिशचन्द्र सिंह निवासिनी ग्राम अमौली ठाकुरान थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 32 वर्ष, हाल पता-संदीप पाल का किराये का मकान उतरेठिया, थाना पीजीआई, लखनऊ को **वृन्दावन योजना मे ट्रामा सेन्टर एसजीपीजीआई** से गिरफ्तार करते हुए **आलाकत्ल 01 अदद चाकू व 01 अदद टी-शर्ट,** बरामद करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण:-

- दिनांक 21/11/2026 को वादी श्री लखन सिंह पुत्र द्वारा थाना स्थानीय पर आकर बाबत अपने पुत्र की हत्या हो जाने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर दी गयी, जिसके आधार पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 45/2026, धारा-103(1)/61(2) बीएनएस बनाम पूजा सिंह व राम तीर्थ मौर्या के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
- अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम गठन किया गया। इन टीमों द्वारा निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस द्वारा **दिनांक 21.01.2026 को कुछ ही घंटों** के अन्दर घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया।

अभियुक्त रामतीर्थ मौर्या से पुछताछ विवरण:-

पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रामतीर्थ, संदीप पाल के किराये के मकान में पूजा के बगल में ही रहता है। जो पूजा से प्यार करता है, अभियुक्त की पूजा के पति से दोस्ती हो गयी थी। पूजा व उसके पति के बीच में सम्बन्ध अच्छे नही थे। पूजा का पति अत्याधिक दारू का सेवन करता था। जिससे नाराज होकर पूजा अभियुक्त रामतीर्थ से प्यार करने लगी थी, पूजा के द्वारा बताया गया था कि मेरा पति प्रदीप सिंह परिहार कि आज अपने घर कानपुर देहात से आ रहा है, जिसको पूजा अपने जीवन से हटाने के लिए रामतीर्थ को पूजा ने सुबह मे ही बता दिया था कि मेरे पति मार दो फिर हम लोग अपना जीवन साथ साथ अच्छे से व्यतीत कर लेंगे।

पूजा के कहने पर ही रामतीर्थ ने प्रदीप सिंह परिहार को शाम दारु पिलाकर जान से मार देने की योजना बनायी थी। कल शाम रामतीर्थ व प्रदीप प्लेटिना वाहन संख्या UP 32 KE 1918 से दारु पीने के लिए निकले थे कि दारु का सेवन करने के बाद चिरैय्याबाग अण्डर पास के बगल सर्विस लेन पर प्रदीप सिंह प्लेटिना मोटरसाइकिल को चला रहा था, रामतीर्थ पीछे बैठा था कि पूर्व से बनायी योजना के तहत रामतीर्थ ने अपनी जींस पैंण्ट में छिपा कर रखे हुए चाकू को निकाल कर प्रदीप सिहं का गला रेतकर हत्या कर दी थी।

अभियुक्ता पूजा सिंह से पुछताछ विवरण-

अभियुक्ता पूजा सिंह से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता का पति प्रदीप सिंह परिहार अत्याधिक दारु का सेवन करता था, जिसको अभियुक्ता बार-बार मना करती थी, जिसके कारण अभियुक्ता व उसके पति दोनो में काफी लड़ाई होती थी, अभियुक्ता काफी परेशान हो गयी थी। अभियुक्ता के बगल में रहने वाले रामतीर्थ मौर्या से अभियुक्ता का लगाव हो गया था, अभियुक्ता अपने पति को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए रामतीर्थ को बतायी थी, फिर दोनो ने योजना बनाकर कल प्रदीप सिंह परिहार की हत्या कर दी।

अनावरित अभियोगः-

मु0अ0सं0-45/2026, धारा-103(1)/61(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1-रामतीर्थ मौर्या पुत्र शेषनाथ मौर्या निवासी ग्राम हवेली पोस्ट जमरवा, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी उम्र 32 वर्ष हाल पता पता संदीप पाल का किराये का मकान उतरेठिया, थाना पीजीआई, लखनऊ। (किटनाशक दवा की विक्रय)

2-पूजा सिंह पत्नी प्रदीप सिंह परिहार पुत्री हरिशचन्द्र सिंह निवासिनी ग्राम अमौली ठाकुरान थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 32 वर्ष हाल पता संदीप पाल का किराये का मकान उतरेठिया, थाना पीजीआई,लखनऊ। (राजधानी अस्पाल की कर्मचारी)

आपराधिक इतिहास रामतीर्थः-

01-मु0अ0सं0 45/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएसथाना पीजीआई लखनऊ।

आपराधिक इतिहास पूजाः-

01-मु0अ0सं0 45/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएसथाना पीजीआई लखनऊ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना पीजीआई पुलिस टीम ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 21.01.2026

बढ़ चलें हैं एक साथ, मिशन शक्ति की ओर।

थाना हसनगंज की पिंक बूथ 60 कैलाश टीम द्वारा थाना हसनगंज क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं, छात्राओं और बच्चो को अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर किया गया जागरुक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना हसनगंज क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला का0 पूजा भार्गव, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 निधि जावला, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण करके।

प्रतिभाग-

- महिला का0 पूजा भार्गव, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 निधि जावला, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 पूनम चौधरी, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत पिंक बूथ 60 कैलाश छात्रावास ने करीब 20- 25 महिलाए व बच्चे।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.01.2026 को थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत पिंक बूथ 60 कैलाश छात्रावास टीम द्वारा थाना हसनगंज क्षेत्र में भ्रमणशील होकर करीब 20- 25 महिलाए व बच्चे। (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर: उन्हें आपात स्थिति और सहायता के लिए सभी जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जैसे: 1090: महिला पावर लाइन (Women Power Line), 112: आपातकालीन सेवाएं (Emergency Services) 108: एम्बुलेंस सेवा (Ambulance Service), 1098: चाइल्डलाइन (Childline), 1076: टोल-फ्री हेल्पलाइन आदि।

मिशन शक्ति का उद्देश्य-

- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना।
- **सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन:** बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ काम करना।
- **शिक्षा और जागरूकता:** महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- **आर्थिक स्वतंत्रता:** महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे आत्मविश्वास से अपने निर्णय ले सकें।
- **रोजगार और उद्यमिता:** महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार व उद्यमशीलता (entrepreneurship) के लिए प्रोत्साहित करना।
- **कौशल विकास:** महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना ताकि वे रोजगार के लायक बन सकें।
- **कानूनी सलाह और सहायता:** महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी देना और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
- **सुरक्षा और समर्थन:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना और पीड़ितों को समर्थन देना।

संक्षेप में कहें तो, मिशन शक्ति का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ हर महिला सुरक्षित, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ जीवन जी सके तथा राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय और समान भागीदार बन सके। यह मिशन "नारी सशक्तिकरण" के विजन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

यह आयोजन महिला सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे।.